



महात्मा गांधी नरेगा टोल फ़ी हैल्पलाईन नम्बर 1800-180-6606

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(अनुभाग-3)

क्रमांक एफ 4(9) ग्रावि/युप-3/शिका./हैल्पलाईन/09-10/पार्ट-II

जयपुर, दिनांक 22.05.2020

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त राजस्थान।

22 MAY 2020

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा कॉल सेन्टर पोर्टल पर परिवर्तित अस्थाई नम्बर बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत महात्मा गांधी नरेगा नरेगा कॉल सेन्टर टोल फ़ी नम्बर-1800-180-6127 जो वर्तमान में कोविड-19 महामारी से संबंधित राहत कार्य हेतु उपयोग में लिया जा रहा है।

इस क्रम में वर्तमान महात्मा गांधी नरेगा योजना से संबंधित समस्याओं के समाधान, नवीन जॉब कार्ड बनवाने व योजना अंतर्गत कार्य की मांग दर्ज करने हेतु राज्य के टोल फ़ी नम्बर-181 का उपयोग में लिया जा रहा है।

अतः योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं कार्य की मांग दर्ज करने हेतु समस्त जिला स्तरीय, पंचायत समिति स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीणों तक अस्थाई नरेगा कॉल सेन्टर नम्बर 181 का प्रचार-प्रसार किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय

(पी.सी.किशन)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 2 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
- 3 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
- 4 निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
- 5 निजी सचिव, निदेशक, मिड-डे-मिल, जयपुर।
- 6 निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण एवं भूसंरक्षण।
- 7 संबंधित जिला प्रभारी अधिकारी (संलग्न सूची के अनुसार)/योजना प्रभारी को भेजकर लेख है कि कॉल सेन्टर का उचित प्रचार-प्रसार करवाकर मौके पर कार्य की मांग दर्ज करावें।
- 8 श्री रिकू छीपा, एमआईएस मैनेजर, ईजीएस को पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 9 अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जयपुर/जोधपुर।
- 10 समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान।
- 11 श्री कमल कुमावत, प्रतिनिधि, डॉ आईटी प्लानेट्स लिंग, लालकोठी, सब्जीमण्डी, किसान भवन, टोक रोड, जयपुर।

अधीक्षण अभियंता, ईजीएस